न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 34/2009

निर्णय दिनांकः– 30.11.2015

उनवान

1.मुस्तकीम पुत्र भूरा खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.अफरीज जहां पुत्री भूरा खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
3.शगुप्ता पुत्री भूरा खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
4.सन्नी पुत्री भूरा खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
5.किश्वर पुत्री भूरा खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
6.कुरशीद जहां बेवा भूरा खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
7.नोशे खां पुत्र समद खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1.जगन्नाथ पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक
2.हेमराज पुत्र गोपी जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक
3.बुद्विप्रकाश पुत्र श्योजी जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक
4.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री बी0यू0खान , वकील प्रार्थीगण

श्री गोविन्द शर्मा वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 143, 160, 161, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, कुल किता 10 कुल रकबा 1.70 है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थीगण 1 ता 6 का 1/5 हिस्सा तथा प्रार्थी न0 7 का 3/5 हिस्सा है तथा मौके पर निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी है तथा प्रार्थीग्ण को विरासत मे मिली है। प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिपक्षीगण उक्त आराजीयात पर से जबरन बैदखल करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है।

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे ना फसल मे बाधा डाले, ना बेदखल करे।

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 167 रकबा 0.35 है0 व ख0न0 169 रकबा 0.11 है0 प्रतिपक्षी न0 2 के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी है। जिसके साबिका ख0न0 1143 थे। जिसे प्रतिपक्षी न0 2 के पूर्वजमोत्या एवं रामपाल पुत्रान उंकार मीना निवासी बीलोता ने तत्कालीन खातेदार अब्दुल समखा उर्फ समन्दा खां पुत्र अब्दुल वाहिद खां निवासी अलीगढ से जरिये इकरारनामा दिनांक 20.6.1957 को खरीद किया जाकर मोके पर कब्जा प्राप्त किया था। जब त कवे जिवित रहे स्वयं काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी न0 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिपक्षी न0 2 का विगत 60–70 वर्षो से निर्विवाद कब्जा काश्त होने से प्रतिपक्षी न0 2 खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षी न0 2 को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 वाके ग्राम बिलोता मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 143, 160, 161, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, कुल किता 5 कुल रकबा 1.70 हैक्टर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम बिलोता मे प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त का अंकन दर्ज है। प्रतिपक्षीगण का कथन है कि आराजी ख0न0 167 रकबा 0.35 है0 व ख0न0 169 रकबा 0.11 है0 प्रतिपक्षी न0 2 के पूर्वज ने जरिये इकरारनामा कय की है तथा उनका कब्जा काश्त है, परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रतिपक्षीगण के पक्ष मे न होकर प्रार्थीगण के पक्ष मे है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीग्ण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीग्ण को ही अधिक होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 143, 160, 161, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, कुल किता 10 कुल रकबा 1.70 है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करे और ना ही बेदखल करने का प्रयास करे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाय गया।

(सुभाषचन्द शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner